	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	वैशाख 07, सोमवार, *शाके* 1948- अप्रेल 27, 2026 Vaisakha 07, Monday, Saka 1948- April 27, 2026	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 15, 2026

(जविप्रा अधिनियम की धारा 25(4) देखें)

संख्या जविप्रा/उपा-7/2026/डी-490 :-जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 25 की उपधारा (3) के अनुसरण में जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित निजी खातेदारी योजना खसरा नम्बर 222 मोती नगर के भूखण्ड संख्या ए-1 क्षेत्रफल 478.41 व0ग0 जिसका भू-उपयोग मास्टर विकास योजना-2025 व जोनल विकास योजना-04 के अनुसार व्यवसायिक दर्शाया गया है, का आवासीय से व्यवसायिक भू-उपयोग परिवर्तन प्रस्तावित किये जाने बाबत् आम सूचना दिनांक 22-09-2025 द्वारा आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये गये थे। जिसमें 15 दिवस की निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए। प्रकरण में भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की सशर्त स्वीकृति प्रदान की गई है।

<u>उपान्तरण</u>

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 25 की उपधारा 1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित निजी खातेदारी योजना खसरा नम्बर 222 मोती नगर के भूखण्ड संख्या ए-1 क्षेत्रफल 478.41 व0ग0 जिसका भू-उपयोग मास्टर विकास योजना-2025 व जोनल विकास योजना-04 के अनुसार व्यवसायिक दर्शाया गया है, का भू-उपयोग उपान्तरण मास्टर विकास योजना-2025 के अनुसार व्यवसायिक प्रयोजनार्थ किया जाता है।

यह अधिसूचना आज दिनांक 15.04.2026 को जारी की गई।

गौरव सैनी,

सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।